

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.**



मि०न० -174/2019

अनवान : -

1. मनीष पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

- वादी

**ब न अ म**

1. कृष्ण पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. रेखा पुत्री मांगेराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती**  
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वकील वादी

श्री सतवीर बैनीवाल वकील प्रतिवादीगण

**निर्णय**

दिनांक: 24/02/2020

वादी के दावा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 एसडीआर के खाता सं० 87/85 के मु० न० 12 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 13 के किला न० 11/1, 12/1, 13/1, 17 ता 24, मु० न० 16 के किला न० 1, 10, 11, मु० न० 69 के किला न० 2, 9, 10, 13, मु० न० 70 के किला न० 4 ता 7 कुल 6.7050 है० नहरी 6.3120 है०, बाराणी 0.253 है०, गै० मु० रास्ता 0.115 है०, गै० मु० खाला 0.025 है० प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण का 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वादभूमि पहले वादी के दादा मांगेराम की खातेदारी हुआ करती थी। मांगेराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी कृष्ण के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी कृष्ण कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कृष्ण अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कृष्ण के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 2 एवं वादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी मनीष पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में

५७

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

वादी ने जमाबंदी रोही मौजा चक 5 एसडीआर खाता सं० 87/85 संवत् 2072-75 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गांधीबडी प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने चक 5 एसडीआर के खाता सं० 87/85 के मु० न० 12 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 13 के किला न० 11/1, 12/1, 13/1, 17 ता 24, मु० न० 16 के किला न० 1, 10, 11, मु० न० 69 के किला न० 2, 9, 10, 13, मु० न० 70 के किला न० 4 ता 7 कुल 6.7050है० नहरी 6.3120है०, बारानी 0.253है०, गै० मु० रास्ता 0.115है०, गै० मु० खाला 0.025है० प्रतिवादी सं० 1कृष्ण का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 5 एसडीआर के खाता सं० 87/85 के मु० न० 12 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 13 के किला न० 11/1, 12/1, 13/1, 17 ता 24, मु० न० 16 के किला न० 1, 10, 11, मु० न० 69 के किला न० 2, 9, 10, 13, मु० न० 70 के किला न० 4 ता 7 कुल 6.7050है० नहरी 6.3120है०, बारानी 0.253है०, गै० मु० रास्ता 0.115है०, गै० मु० खाला 0.025है० प्रतिवादी सं० 1कृष्ण का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा वादी मनीष व प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी 1/2 एवं प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण के नाम 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश बारैठ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.**

मि०न० -174/2019

अनवान : -

1. मनीष पुत्र कृष्ण जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

- वादी

**ब न अ म**

1. कृष्ण पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. रेखा पुत्री मांगेराम जाति जाट निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती**  
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि कि चक 5 एसडीआर के खाता सं० 87/85 के मु० न० 12 के किला न० 16 ता 18, 23 ता 25, मु० न० 13 के किला न० 11/1, 12/1, 13/1, 17 ता 24, मु० न० 16 के किला न० 1, 10, 11, मु० न० 69 के किला न० 2, 9, 10, 13, मु० न० 70 के किला न० 4 ता 7 कुल 6.7050 है० नहरी 6.3120 है०, बारानी 0.253 है०, गै० मु० रास्ता 0.115 है०, गै० मु० खाला 0.025 है० प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण का 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी सं. 2 के द्वारा वादी मनीष व प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादी 1/2 एवं प्रतिवादी सं० 1 कृष्ण के नाम 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा

से जारी की गई।



२९  
(मुकेश बारैठ)

भादरा (जिला R.A.S. भादरा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

